



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1937 (श०)
(सं० पटना ५२०) पटना, मंगलवार, २८ अप्रील २०१५

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
२१ अप्रील २०१५

एस०ओ० ६४, दिनांक २८ अप्रील २०१५—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९९३ (बिहार अधिनियम १६/१९९३) की धारा-३ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या—एस०ओ० ९५, दिनांक ३१ जुलाई, २००८ (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :—

संशोधन

- (१) उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या—८ के स्तंभ-३ की वर्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द "५ प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (२) उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या—२६ के स्तंभ-३ की वर्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द "५ प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-११९/२०१४-१७४९)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

२१ अप्रील २०१५

एस०ओ० ६५, एस०ओ० ६४, दिनांक २८ अप्रील २०१५ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-११९/२०१४-१७५०)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st April 2015

S.O. 64, dated the 28th April 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for

Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Departmental Notification Number S.O.-95 dated 31 July, 2008 (as amended from time to time) with immediate effect :-

Amendments

- (1) The present entries in column 3 of Serial number 8 of the said Schedule shall be substituted by the figure and word “ 5 percent”
- (2) The present entries in column 3 of Serial number 26 of the said Schedule shall be substituted by the figure and word “ 5 percent”

[F.No. Bikri kar/vividh-119/2014-**1749**)]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 520-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>